क्रम-संख्या--587

रजिस्टर्ड नं० ए० डी० --4

लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०--41

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 21 सितम्बर, 1983

भाद्रपद 30, 1905 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग--1

संख्या 2707/सत्रह-वि-1-1(क)-23-1983

लखनऊ, 21 सितम्बर, 1983

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन (संशोधन) विधेयक, 1983 पर दिनांक 20 सितम्बर, 1983 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17, सन् 1983 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 1983

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17, सन् 1983)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम, 1976 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 1983 कहा जायेगा। — संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 18 अगस्त, 1983 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, सन् 1976 में धारा 44-क का बढ़ाया जाना

2--उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम, 1976 में, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 44 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:--

छूट देने की शक्ति

"44-क--राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकती है कि धारा 26 और धारा 29 के उपबन्ध ऐसी अवधि के दौरान और ऐसी श्रेणी के कोल्ड स्टोरेजों के संबंध में, जो उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 1983 के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् बनाये गये हों, जिसे लोकहित में आवश्यक समझा जाय, लागू नहीं होंगे।"

निरसन और अपवाद

3--(1) उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 1983 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
गंगा बख्श सिंह,
सचिव।

No. 2707/XVII-V—1-1(Ka)-3-1983

Dated Lucknow, September 21, 1983

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Cold Storage Viniyaman (Sanshodhan) Adhiniyam, 1983 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 17 of 1983) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 20, 1983:

THE UTTAR PRADESH REGULATION OF COLD STORAGES (AMENDMENT) ACT, 1983

[U. P. ACT NO. 17 OF 1983]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Regulation of Cold Storages Act, 1976

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-fourth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Regulation of Cold Storages (Amendment) Act, 1983.

(2) It shall be deemed to have come into force on August 18, 1983.

Insertion of section 44-A in U. P. Act no. 11 of 1976.

2. In the Uttar Pradesh Regulation of Cold Storages Act, 1976, hereinafter referred to as the principal Act, *after* section 44, the following section shall be *inserted*, namely :—

"44-A. The State Government may by notification direct that the Power to Exempt. provisions of section 26 and section 29 shall not apply, during such period and in respect of such category of cold storages, constructed before or after the commencement of the Uttar Pradesh Regulation of Cold Storages (Amendment) Act, 1983, as may be considered necessary in the public interest."

Repeal and savings.

3. (1) The Uttar Pradesh Regulation of Cold Storages (Amendment) Ordinance, 1983, is hereby repealed. U. P. Ordinance no. of 1983

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act, as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
G. B. SINGH,
Sachiv.

पी० एस० यू० पी०--यू० पी० 230 सा० (विधा०)--(3280)--1983--700 (मेक०)।